B.A. PART-II 4th PAPER
[Collective Security]

Q 1. सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। U.N.O के अन्तर्गत सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था किस तरह की गई है?

उत्तर सामूहिक सुरक्षा के सिद्धान्त का सम्बंध अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न से है। "सुरक्षा" शब्द एक साध्य की ओर इंगित करता है। जबकि सामूहिक शब्द उस साधन का बोध करता है जिसे साध्य की प्राप्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। शब्दों की इस व्यवस्था से यह अर्थ निकलता है कि सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था के अन्तर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न को इसका उद्देश्य वस्तुतः सभी राष्ट्रों की सुरक्षा की व्यवस्था करना समझा जाता है। वैसे तो सामूहिक सुरक्षा के अनेक अर्थ निकलते हैं किन्तु सार रूप में इसका तात्पर्य यह है कि किसी एक राष्ट्र पर हुआ आक्रमण सभी राष्ट्रों पर आक्रमण समझा जाएगा और उसका सामूहिक शक्ति से सामना किया जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था होने पर आक्रमण को रोका ही नहीं जाएगा। बल्कि आक्रमण होने की संभावना ही नहीं उत्पन्न होगी।

Scanned with CamScanner

राष्ट्रों की सामूहिक शक्ति के भय से आक्रामक राष्ट्र आक्रमण का सहारा नहीं लेंगे और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ-साथ विश्व शांति भी बनी रहेगी। इसीलिए सामूहिक सुरक्षा की इस व्यवस्था को संरक्षण और शान्ति का पोषक माना जाता है। इस दृष्टिकोण से यह शक्ति संतुलन की व्यवस्था से भिन्न है। शक्ति संतुलन की व्यवस्था के अन्तर्गत जो संधियां की जाती है। उनका लक्ष्य एक देश या कुछ देशों के गुट का विरोध करना, उन पर आक्रमण करना या उनके आक्रमण से अपनी रक्षा करना होता है किन्तु सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था में विरोधी अस्पष्ट और संभावित होता है। इसके अन्तर्गत यह व्यवस्था होती है कि किसी भी एक इकाई पर आने वाला संकट या आक्रमण संधिबद्ध सभी इकाइयों के विरुद्ध आक्रमण समझा जाता है और सामूहिक रूप से ही उसका विरोध किया जाता है। इसीलिए " श्वार्जन बर्गर ने सामूहिक सुरक्षा को एक अन्तर व्यवस्था के विरुद्ध

(3)

आक्रमण को रोकने किए गए संयुक्त कार्य का अन्त कहा है।

MORGENTHAU (मॉरगेन्थाऊ) ने

सामुहिक सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में अपना मत व्यक्त करते हुए कहा है कि सामुहिक सुरक्षा की कार्यकारी व्यवस्था में सुरक्षा की समस्या अकेले किसी एक राष्ट्र की समस्या नहीं होती। उसने इस व्यवस्था को "All for one & one for All" वाले सामान्य सामाजिक जीवन के सिद्धान्त को अंतर्राष्ट्रीय जगत में उतरना बतलाया है। अर्थात जहाँ किसी एक पर आक्रमण सभी पर आक्रमण माना गया है। वहाँ एक दूसरे की रक्षा में सहयोग प्रत्येक राष्ट्र का उत्तरदायित्व समझा गया है। "शुमेन" — अथवा "अथरस्य" ने इसे "राज्यों का पारस्परिक रक्षात्मक समझौता कहा है।"

फलाड ने सामुहिक सुरक्षा को शान्ति संतुलन और विश्व सरकार के समान ही शान्ति संतुलन और विश्व सरकार के समान ही शान्ति प्रबन्ध का सामुहिक सुरक्षा, शान्ति संतुलन

के द्वारा युद्ध को रोका नहीं जा सका और विश्व सरकार की सम्भावना निकट भविष्य में व्यवहार में उतरती दिखाई नहीं देती। इसीलिए सामूहिक सुरक्षा को अधिक कारगर साधन के रूप में स्वीकार किया जाता है।

"आर्गेन्सकी" के अनुसार यह व्यवस्था पांच मान्यताओं पर आधारित है—

(1) किसी भी सशस्त्र मुठभेड़ में सभी राष्ट्र इस बात पर सहमत होंगे कि कौन देश आक्रामक है, आक्रामक देश के विरुद्ध शीघ्र और संयुक्त कार्यवाही आवश्यक है।

(2) आक्रामक चाहे कहीं से भी हो सभी देश उसका प्रतिकार करने में दिलचस्पी लें।

(3) सभी देश किसी आक्रमण के विरुद्ध कार्यवाही में शामिल होने के लिए समान रूप से स्वतंत्र और सक्षम हैं।

(4) राष्ट्रों की सामूहिक शक्ति आक्रमण के प्रतिकार या विरोध के लिए जुटाई जानी चाहिए।

(5) सदस्यों को मिली - जुली विशाल शक्ति किसी आक्रमण पर प्रतिकार करने के लिए तैयार रहनी चाहिए।

सामूहिक सुरक्षा के संबंध में एक दूसरा सिद्धान्त कार्यकारी सिद्धान्त है —

सिद्धान्त सामूहिक सुरक्षा के कार्य को सौदेबाजी प्रक्रिया के रूप में देखता है। यह शान्ति के अन्तर्राष्ट्रीय बंटवारे और विभिन्न विरोधी नीती हितों को एक केन्द्र में मिलाने पर जोर देता है।

सामूहिक सुरक्षा का तीसरा सिद्धान्त कूटनीतिक सिद्धान्त (Diplomacy Theory) है — यह सिद्धान्त नियमों, प्रक्रियाओं और लक्ष्यों के बीच राज्यों के एकता के संदर्भ में परिभाषित करता है।

इस तरह सामूहिक सुरक्षा बड़ी शक्तियों का संयुक्त संगठन है, युद्ध को रोकने के साधन के रूप को सामूहिक सुरक्षा का विचार तीन मान्यताओं पर आधारित है —

(i) यह व्यवस्था इतनी जबरदस्त शक्ति संचय संचय करने के इसलीये स्थिति मे हो ताकि राष्ट्रो को आक्रमण करने की हिम्मत नही हो। एकता मे शक्ति होती है। परन्तु राष्ट्रो की एकता सच्चे अर्थों मे तभी मानी जाएगी जबकि सभी राष्ट्र अपनी शक्ति का प्रयोग सामूहिक रूप से करने के लिए तैयार रहे। शक्ति के अभाव मे सामूहिक सुरक्षा का कोई प्रभाव नही रहेगा।

(ii) आक्रमण के विरुद्ध सामूहिक सुरक्षा के लिए आवश्यक शक्ति जुटाने वाले राष्ट्रो मे सुरक्षा और आक्रमण की धारणाओं मान्यताओ और नीति समान होनी चाहिए।

(iii) ऐसे सभी राष्ट्रो को अपने नीति और परस्पर विरोधी राष्ट्रीय हितो को सामूहिक सुरक्षा की नीति मे गौण समझना चाहिए।

उपर्युक्त सभी अवस्थाओ के अभाव सफल सामूहिक व्यवस्था के लिए अन्य दो बातो का होना भी जरूरी है —

(A) सभी सम्बंधित देश यथास्थिति व्यवस्था बनाए रखना अपनी राष्ट्रीय हित में समझते हो और।

(B) यथास्थिति को समाप्त करने को तैयार राष्ट्रों की सामूहिक शक्ति का मुकाबला करने की क्षमता सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था में हो।

Collective Security and U.N.O
सामूहिक सुरक्षा और संयुक्त राष्ट्र संघ

राष्ट्र संघ के समान ही U.N.O के विधान में भी सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। यद्यपि यह पहले की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली है। U.N.O के पास "दाँत होते हैं, यदि यह शक्तिशाली नहीं है तो बने हुए अवश्य है, यदि यह अपने प्रयोग में न ला सके तो कम से कम काटने की शक्ति तो है"

संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 43 में यह व्यवस्था है कि शान्ति स्थापित करने के लिए अपनी सशस्त्र सेनाएँ एवं सुविधाएँ जिनमें मार्ग अधिकार भी शामिल होंगे सुरक्षा परिषद को दी जाएगी। उसमें यह भी

लिखा गया है कि सभी सदस्य राष्ट्र सामूहिक अन्तर्राष्ट्रीय कार्यवाही के लिए अपनी अपनी राष्ट्रीय वायुसेना के दल शीघ्र उपलब्ध करायेंगे ताकि संयुक्त राष्ट्र संघ तुरन्त कार्यवाही कर सके।

यद्यपि शान्ति स्थापित करना सुरक्षा परिषद का प्रधान उत्तरदायित्व है अथवा शान्ति के लिए एकता (Uniting for peace) के प्रस्ताव द्वारा यह व्यवस्था कर दी गई है कि यदि कभी शान्ति के लिए संकट पैदा हो जाय अथवा शान्ति भंग होने की संभावना हो या आक्रमण होने की नौबत आ जाये और सुरक्षा परिषद अपने पारस्परिक मतभेदों के कारण इस कार्य में अपने कर्तव्य का पालन न कर सके तो महासभा संकटकालीन अधिवेशन बुलाकर तुरन्त यह मामला अपने हाथ में ले सकता है और मुकाबला करने के लिए सामूहिक कार्यवाही का सुझाव दे सकती है।

जैसे :- 1950 में दक्षिणी कोरिया पर उत्तरी कोरिया द्वारा किए गए आक्रमण के मामले को राष्ट्रसंघ ने अपने हाथ

में ले लिया था। यदि U.N.O सुरक्षा व्यवस्था के अन्तर्गत प्रभावशाली सैनिक विरोध नही करता तो सम्भव था कि तृतीय विश्व युद्ध की नींव उत्पन्न हो जाती।

कुछ विचारकों का मत है कि सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के अन्तर्गत यह होना चाहिए था कि आक्रमणकारी को सजा देने प्रतिरोध करने के लिए किसी भी आक्रमणकारी के विरुद्ध कहीं भी लड़ा जाता बल्कि इस शक्ति का प्रयोग अमेरिका के प्रमुख शत्रु के विरुद्ध किया गया था। जो भी हो कोरिया युद्ध ने राष्ट्रसंघ को अनुभव प्रदान किए और सामूहिक व्यवस्था को शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया गया।

संयुक्त राष्ट्र संघ सामूहिक सुरक्षा के अपने उत्तरदायित्वों को सही अर्थों मे नही निभा सका है इसे इंगित करते हुए 'पामर' एवं 'पार्किंस' ने यहाँ तक लिखा दिया है कि — "

अनुभव के आधार पर यहाँ तक कहा जा सकता है कि

संयुक्त को न तो कभी प्रभावशाली साधन था और न भविष्य में कभी हो सकता है।" सुरक्षा परिषद् में महाशक्तियों के निषेधाधिकार ने ऐसी व्यूह रचना उपस्थित कर दी है कि चूहे को तो मारा जा सकता है लेकिन शेर को रोका नहीं जा सकता। निषेधाधिकार ने सामान्य सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया है।

मार्गेन्थो के इन शब्दों से असहमत होना कठिन है कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर ने सामूहिक सुरक्षा की आवश्यकता ~~[illegible]~~ पद्धति स्थापित की है।

The End